उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियनत्रण अनुभाग-1,
संख्या-62/2015/2677/92-1-2015-47आरई/2010,
दिनांक: लखनऊ: 16 जून, 2015

## कार्यालय-ज्ञाप

श्री रमाकान्त सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा की गयी अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-842/62-3-2010-47आरई/2010, दिनांक 12-05-2010 द्वारा सी0एस0आर0 के नियम-351ए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की विभागीय जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी द्वारा नियमानुसार जॉच कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्र संख्या-3168/ग्रा0अ0से0/अनु0 जॉच/समूह(क)/2010-11, दिनांक 09-01-2012 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री रमाकान्त सिंह के विरूद्ध अधिरोपित कुल चारों आरोप स्थापित पाये गये। अतएव उक्त सिद्ध पाये गये आरोपों के आलोक में तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-9(4) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या-279/92-2012-47आरई/2010, दिनांक 20-6-2012 द्वारा जॉच आख्या की प्रति अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए उनके विरूद्ध स्थापित पाये गये आरोपों के सम्बन्ध में अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके द्वारा पत्र दिनांक 09-12-2013 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

3- उपर्युक्त सिद्ध पाये गये आरोप के परिप्रेक्ष्य में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में आरोप संख्या-1 के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि इस आरोप में जॉच अधिकारी द्वारा कोई शासकीय क्षति होने का उल्लेख नहीं किया गया है, मात्र अधिशासी अभियंता, बलिया द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराये जाने के कारण विवरण के अभाव में उनको दोषी माना गया है। आरोप संख्या-2 के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि जॉच अधिकारी द्वारा अभिलेख उपलब्ध न होने के क्रम में औपचारिकता के लिए उसे दोषी माना गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। इसी प्रकार आरोप संख्या-3 एवं 4 के सम्बन्ध में अपचारी अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-बलिया से अभिलेख न उपलब्ध कराये जाने के कारण अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बंध में उल्लेख किया जाना है कि अपचारी अधिकारी द्वारा सिद्ध पाये गये आरोपों के परिप्रेक्ष्य में कोई भी नवीन तथ्य नहीं प्रस्तुत किये गये हैं, अपितु उनके द्वारा विषयगत प्रकरण में जॉच अधिकारी द्वारा जॉच कार्यवाही के समय अपने बचाव उत्तर में प्रस्तुत कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है। जॉच अधिकारी द्वारा जॉच के समय अपचारी अधिकारी के ऊपर गठित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर एवं अन्य संगत अभिलेखों के आधार पर ही जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या प्रस्तुत की गयी है। वर्णित स्थिति में उक्त सिद्ध पाये गये आरोपों के परिप्रेक्ष्य में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में कोई नवीन तथ्य अथवा विचारणीय बिन्दु प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में उसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं उनके विरूद्ध स्थापित आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व शासकीय क्षति के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 11-4-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह स्थिति स्पष्ट हुई कि आरोप सं0-1 के अन्तर्गत वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर-365 का

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उल्लंघन करने की प्रक्रियात्मक त्रुटि करने, आरोप संख्या-2 के अन्तर्गत ठेकेदार के साथ सॉठ-गॉठ कर अनुबन्ध का अवैध गठन किये जाने का आरोप अपचारी अधिकारी पर स्थापित हुए हैं, जिसके लिये प्रश्नगत दोनों आरोपों में शासकीय क्षति परिलक्षित नहीं होने के बावजूद भी अपचारी अधिकारी को प्रशासकीय दण्ड दिये जाने की स्थिति विद्यमान थी, किन्तु उनके पूर्व में ही सेवानिवृत्त हो जाने के आलोक में अब उन्हें कोई प्रशासकीय दण्ड प्रदत्त किये जा सकने की स्थिति विद्यमान नहीं रह गयी है।

उक्त के अतिरिक्त आरोप संख्या-3 में उल्लिखित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना अधिनियम-2005 के उल्लंघन किये जाने का आरोप अपचारी अधिकारी श्री सिंह पर स्थापित पाया गया है। प्रश्नगत कार्य नरेगा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों के माध्यम से कराया जाना चाहिए था, परन्तु इसे ठेके के माध्यम से कराया गया। इस प्रकार इस कार्य के सापेक्ष रू0-8,22,310.00 का त्रुटिपूर्ण व्यय हुआ है। चूँकि कार्य नरेगा योजना की गाइड लाइन के विपरीत कार्य ठेके से कराया जाना वित्तीय अनियमितता तो है, परन्तु त्रुटिपूर्ण ढंग से कराये गये कार्य पर हुए व्यय को श्री रमाकान्त सिंह की सेवानिवृत्ति के दृष्टिगत इसे शासकीय क्षति की श्रेणी में नहीं माना गया है। इस वित्तीय अनियमितता के लिए भी अपचारी अधिकारी को प्रशासकीय दण्ड दिये जाने की स्थिति विद्यमान थी, किन्तु उनके पूर्व में ही सेवानिवृत्त हो जाने के आलोक में उपर्युक्त आरोप सं0-1 एवं 2 की भाँति आरोप सं0-3 के संबंध में भी अब कोई प्रशासकीय दण्ड प्रदत्त किये जा सकने की स्थिति विद्यमान नहीं रह गयी है।

आरोप संख्या-4 के अन्तर्गत जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में जनपद बलिया में प्राप्त कुल धनराशि रू0-1401.81 लाख के विरूद्ध अपचारी अधिकारी श्री सिंह द्वारा रू0-1488.26 लाख का व्यय किये जाने के कारण रू0-86.45 लाख का अधिक व्यय किये जाने का दोष स्थापित पाया गया है, किन्तु इस संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र दिनांक 11-4-2014 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्या में अभिलेखों के अनुसार कुल रू0-2,71,875.00 के ऋणात्मक व्यय/शासकीय क्षति के लिये अपचारी अधिकारी को दोषी पाया गया है।

5- उक्त के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन में उल्लिखित तथ्य पोषणीय न होने के कारण उसे अस्वीकार करते हुए प्रकरण में हुई कुल शासकीय क्षति रू0-2,71,875.00 की वसूली अपचारी अधिकारी के सेवानिवृत्तिक देयकों और सेवानिवृत्तिक देयकों से उक्त वसूली न हो पाने की दशा में सक्षम न्यायालय के माध्यम से अपचारी अधिकारी श्री सिंह के विरूद्ध सिविल लायवेल्टी के रूप में उक्त शासकीय क्षति की वसूली करने का अनन्तिम दण्ड का विनिश्चय किया गया।

6- उपर्युक्त विनिश्चित अनन्तिम दण्ड प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या-1763/92-2014-47आरई/2010, दिनांक 05-6-2014 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र, इलाहाबाद की सहमति की अपेक्षा की गयी, जिसके क्रम में लोक सेवा आयोग, उ0प्र, इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या-34/2/एडीसी/एस-12/14-15, दिनांक 14 जुलाई, 2014 के माध्यम से सहमति उपलब्ध करायी गयी। श्री रमाकान्त सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता के विरूद्ध विभागीय जॉच से संबंधित अनेक प्रकरण लम्बित होने के दृष्टिगत लोक सेवा आयोग, उ0प्र, इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या-100/7/एडीसी/एस-12/14-15, दिनांक 12-9-2014 एवं पत्र संख्या-100(1)/7/एडीसी/ एस-12/14-15, दिनांक 30-9-2014 के माध्यम से समेकित अर्थदण्ड का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

उक्त के अनुक्रम में शासन के पत्र संख्या-5276/92-2014-164आरई/2010, दिनांक 24-12-2014 के माध्यम से श्री रमाकान्त सिंह के विरूद्ध समेकित रूप से कुल 07 अनुशासनिक कार्यवाहियों में

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासन द्वारा अनन्तिम विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र, इलाहाबाद की सहमति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

7- उपरोक्त विनिश्चित अनन्तिम दण्ड प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र, इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या-146/07/एडीसी/एस-12/14-15, दिनांक 03-03-2015 के माध्यम से अपचारी अधिकारी के विरूद्ध संस्थित सात विभागीय जॉचों में समेकित रूप से प्रस्तावित शास्ति, श्री सिंह के सेवानिवृत्तिक देयकों से रू0-14,38,611.00 (ग्रेच्युटी एवं राशिकरण की धनराशि) की एवं शेष रू0-1,15,10,178.00 (रूपये एक करोड़ पन्द्रह लाख दस हजार एक सौ अठहत्तर मात्र) की वसूली हेतु सक्षम न्यायालय के माध्यम से अपचारी अधिकारी के विरूद्ध सिविल लायवेल्टी के रूप में उक्त शासकीय क्षति की वसूली करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के लिए निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को निर्देशित किये जाने के अनन्तिम विनिश्चित दण्ड पर आयोग द्वारा अपनी सहमति उपलब्ध करायी गयी है।

8- एतदर्थ, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा समेकित रूप से उपलब्ध करायी गयी उपर्युक्त सहमति के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में हुई शासकीय क्षति के लिए श्री रमाकान्त सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया, सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्नवत् दण्डित करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-842/62-3-2010-47आरई/2010, दिनांक 12-05-2010 द्वारा उनके विरूद्ध सी0एस0आर0 के नियम-351-ए के अन्तर्गत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

"श्री रमाकान्त सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया, सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा विषयगत प्रकरण में पहुंचायी गयी कुल शासकीय क्षति रू0-2,71,875.00 की वसूली उनके सेवानिवृत्तिक देयकों से करने, यदि यह धनराशि उनके सेवानिवृत्तिक देयकों से वसूल किया जाना सम्भव न हो, तो सक्षम न्यायालय के माध्यम से सिविल लायवेल्टी के रूप में अवशेष शासकीय क्षति की वसूली की जाय।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

**संख्या-62/2015/2677(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे नियमानुसार अपचारी अधिकारी से उपर्युक्त शासकीय क्षति की वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
2- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी।
4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया।
5- लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-34/2/एडीसी/एस-12/14-15, दिनांक 14-07-2014 एवं पत्र संख्या-146/07/एडीसी/एस-12/14-15, दिनांक 03-03-2015 के संदर्भ में।
6- श्री रमाकान्त सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-बलिया द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( शिशिर कुमार यादव )
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in